Topic — POSITION OF WOMEN IN MODERN INDIA

(वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति या उनकी परम्परागत स्थिति में परिवर्तन)

Sol— भारत में स्त्रियाँ मध्यकालीन युग की परिस्थितियों में रहती थी और इनका पर्याप्त शोषण हो रहा था। इसी शोषण के विरुद्ध स्त्रियों का महिला आन्दोलन प्रारंभ हुआ और उनके ऊपर लादी गई समस्त परम्परागत अयोग्यताओं को चुनौती दी गई। इस चुनौती के परिणाम में व भारतीय स्त्रियों की स्थिति में अनेक सुधार हुए और वर्तमान समाज में हिन्दू नारी की स्थिति से कहीं अधिक अच्छी है, जैसा कि निम्नलिखित वर्णन से स्पष्ट है—

(1) सामाजिक स्थिति में सुधार (Reformation of Social Status) — स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्रियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। इनमें सामाजिक चेतना की आज एक नई लहर देखने को मिलती है। जो स्त्रियाँ किसी समय घर के बाहर दूर, घर के दरवाजे या खिड़की में से बाहर झाँक भी नहीं सकती थी, वही आज घर के बाहर जाकर नौकरी करती हैं, सिनेमा देखने जाती हैं, सभाओं और संस्थाओं की सदस्यता बनती हैं, पार्टियों का आयोजन करती हैं, क्लब जाती हैं और इसी प्रकार अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं। वे रूढ़िवादी विचारों से दूर होती जा रही हैं और नये तार्किक आदर्शों और मूल्यों को भी अपनाती जा रही हैं। पर्दा-प्रथा प्रायः अब समाप्त हो गई है। समाज में भी अब इनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है। संयुक्त परिवार में इनकी स्थिति परम्परागत स्थिति से कहीं अधिक अच्छी है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति पहले से कहीं अधिक अच्छी है।

(2) परिवार और विवाह के सम्बंध में उच्च स्थिति (Higher Status in Relation to Marriage and Family)

Ajanta PRODUCTS Officer

— परिवार और विवाह के सम्बंध में आज भारतीय नारी की स्थिति कहीं अधिक उच्च है। सन् 1929 में बाल-विवाह अवरोध अधिनियम (The Child Marriage Restraint Act 1929) द्वारा बाल-विवाह का अन्त कर दिया गया है। पहले अधिनियम के अनुसार कोई भी माता-पिता लड़की का विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले नहीं कर सकता। अब भारत सरकार ने इस न्यूनतम आयु को 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण परिषद् ने अपने एक सम्मेलन में इस न्यूनतम आयु को 21 वर्ष कर देने की सिफारिश की थी। 1961 के दहेज प्रतिबंध अधिनियम (Dowry Prohibition Act 1961) के द्वारा दहेज देना या लेना अपराध घोषित कर दिया है, परन्तु दुःख है कि इस सम्बंध में कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। इसी प्रकार सन् 1955 के हिन्दू-विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम (Hindu Marriage and Divorce Act 1955) और सन् 1954 में विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act 1954) ने स्त्रियों को धार्मिक व अन्य प्रकार के प्रतिबंधों से दूर विवाह करने की आज्ञा दे दी है। अब बहुपत्नी विवाह गैर-कानूनी है। अन्तर्जातीय विवाह मान्य हैं, और स्त्रियों को विवाह विच्छेद का भी पूरा अधिकार है। इसी कारण विधवा-पुनर्विवाह भी आज कानूनी रूप से मान्य है। इन सभी कारणों से परिवार के अन्तर्गत भी स्त्रियों की स्थिति काफी सुधरी है। वह अब पति की दासी नहीं, वरन् मित्र है; सास-ससुर की सेविका नहीं वरन् सम्माननीय बहू है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवाह और परिवार के क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत उच्च है।

(3) उच्च आर्थिक स्थिति (Higher economic Status) — आर्थिक दृष्टिकोण से आज स्त्रियों की उच्च स्थिति है। वे अब केवल पति पर ही आश्रित नहीं हैं, आज स्वयं भी अर्थोपार्जन कर रही हैं। वर्तमान भारत में स्त्रियाँ न्यायः सभी व्यवसाय करती हैं। वे वकील, प्रोफेसर हैं, एकाउण्टेण्ट हैं, भारतीय प्रशासनीय सेवा अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं नर्स हैं, फ्लाइंग अधिकारी हैं, फैक्ट्री में मैनेजर हैं, जज हैं और यहाँ तक की हवाई जहाज चालक भी हैं। आज भारत के विभिन्न मुख्य धन्धों में नौकरी करने वाली स्त्रियों की संख्या 8.21 करोड़ से भी अधिक है। इतना ही नहीं सन 1956 के 'हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम' (The Hindu Succession Act 1956) के द्वारा हिन्दू स्त्रियों को माता, पत्नी और पुत्री के रूप में पुरुषों के समान ही सम्पत्ति सम्बंधी अधिकार प्राप्त हो गए हैं। इन सब बातों को देखते हुए यह कहा

जा सकता है कि निश्चय ही स्त्रियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

(4) शिक्षा के सम्बंध में सुधार (Reformation in Relation to education) — स्त्रियों की शिक्षा के सम्बंध में भी वर्तमान समय में पर्याप्त सुधार हुए हैं। पहले बहुत ही कम स्त्रियां पढ़ी-लिखी होती थी, परन्तु आज स्त्रियां शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। सन् 1952 की जनगणना से पता चलता है कि प्रत्येक 1000 स्त्रियों केवल शिक्षित थी परन्तु सन् 1981 की जनगणना से पता चलता है कि प्रत्येक 1000 स्त्रियों में से 342 स्त्रियां पढ़ी-लिखी है। आज स्त्रियां वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। सरकार भी स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। स्त्रियों को निःशुल्क शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा देने की सुविधा, छात्रवृतियां आदि देकर शिक्षा के विषय में प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य सरकारों ने तो दसवीं कक्षा तक लड़कियों को शिक्षा निःशुल्क करके स्त्री-शिक्षा के विस्तार में सराहनीय योगदान किया है। स्त्रियों की शिक्षा में सुधार का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि प्रति प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा (I.A.S) की परीक्षा लड़कों को पछाड़ रही हैं।

(5) राजनीतिक क्षेत्र में समानता (Equality in political field) — हम लोग सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व तक सभी स्त्रियों को वोट (vote) देने का अधिकार नहीं था। परन्तु आज भारत की प्रत्येक नारी को, जिसने की 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, वोट देने का तथा स्वयं भी लोकसभा, विधानसभा आदि के सदस्य के लिए उम्मीदवार होने का अधिकार है। अब तो पंचायत, नगरपालिका आदि के चुनाव में काफी संख्या में सीट महिलाओं के लिए आरक्षित (Reserved) कर दी गई है। इसके फलस्वरूप इस देश में स्त्रियों में पर्याप्त राजनीतिक चेतना आई है। आज स्त्रियां लोकसभा की सदस्यता भी प्राप्त कर रही है और मंत्री भी। और तो और संसार के महानतम लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमति इन्दिरा गांधी एक महिला होते हुए भी 14 वर्ष तक आसीन रही। हमारे देश राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम व्यक्ति के रूप में आसीन रही।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय स्त्रियों की स्थिति में

काफी सुधार हुआ है। परन्तु इस सम्बंध में यह स्मरणीय है कि भारतीय गाँवों और नगरों की भी अनेक रूढ़िवादी परिवारों में स्त्रियों की स्थिति अब भी अधिक अच्छी नहीं है। वे अब भी पर्दा-प्रथा को उचित समझते हैं और शिक्षा को स्त्रियों को बिगाड़ने वाली चीज। विवाह के सम्बंध में रूढ़िवादी परिवारों के अध्यक्ष अब भी लड़की की इच्छा या पसन्द को मानने की आवश्यकता नहीं समझते और लड़की विशेषकर वधू का घर से बाहर जाकर नौकरी करना अपनी शान के खिलाफ मानते हैं तथा उनके सामाजिक मेल-मिलाप आदि पर अनेक प्रतिबंध लगाते हैं। स्त्रियों की उच्च स्थिति का वर्णन करते हुए हमें स्त्रियों की स्थिति के पक्ष को भी भूलना न चाहिये।

समाप्त